न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 73 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महोदवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे लाईन के पास (सवीना खेड़ा) उदयपुर शाश्वत नाबालिग जरिये वंशानुगत पुजारी श्री महेशपुरी पिता श्री एकलिंगपुरी गोस्वामी, निवासी कमलनाथ महोदवजी (तीन देवरी) मंदिर रेलवे लाईन के पास, सवीना खेड़ा, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भारत संघ जरिये श्री महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर (राज.)
2. मण्डल प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर (राज.)
3. सहायक मण्डल इंजीनियर, उत्तर पश्चिम रेलवे, राणा प्रतापनगर, उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 24.05.2017 प्र.सं. 154 / 09

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री प्रकाश खत्री अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री उत्तमप्रकाश आमेटा अभिभाषक अपीलान्ट
3. श्री अरूण जैन अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1, 2, 3
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 4, 5

———:::———

निर्णय **दिनांक 25–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सवीना खेडा की आराजी नंबर 141 से 148 डोली माफी जमीन ताम्र पत्र से मेवाड़ महाराज श्री भीमसिंह जी द्वारा संवत् 1863 में श्री महेशपुरी गोस्वामी के पूर्वजों को दी थी। यह भूमि 33 बीघा 7½ बिस्वा भूमि मंदिर के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु राजस्व अधिकारियों व तत्कालीन शासन की लापरवाही से आराजी नंबर 142 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि खडमदार पुजारी के नाम दर्ज की व शेष भूमि आराजी नंबर 141 व 143 बिलानाम तथा आराजी नंबर 144 से 148 बिलानाम मिलेट्री के नाम दर्ज कर दी। अर्थात मंदिर की भूमि में से 24 बीघा 8 बिस्वा भूमि त्रुटि पूर्ण रूप से बिलानाम दर्ज कर दी गयी है। राज्य सरकार ने उपरोक्त भूमि प्रतिवादी रेलवे को प्रदान कर उनके खाते दर्ज कर दी, जबकि राज्य सरकार का इस प्रकार का आदेश अवैध व प्रभाव शून्य है तथा रेलवे को इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। निवेदन किया कि विवादित आराजियात का वादी को खातेदार घोषित करते हुए कब्जा दिलाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा सरकार की ओर से भी औपचारिक खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन दिनांक 01–03–2017 को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि यह वाद महेश पुरी द्वारा वंशानुगत पुजारी की हैसियत से प्रस्तुत किया है, परन्तु वंशानुगत पुजारी की कोई सूची वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। उक्त वाद घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं आधिपत्य दिलाये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है, जबकि उक्त भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रतिवादीगण को दिनांक 24–01–1963 को कार्यालय भूमि अपाप्ति अधिकारी द्वारा अपाप्त कर कब्जा प्रतिवादीगण को सिपुर्द कर दिया था तत्पश्चात् उक्त भूमि पर रेलवे के क्वार्टर, कम्युनिटी हाल एवं अन्य कार्यालय बनाये गये हैं। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं होने से राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। अतएवं वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किय गया एवं निवेदन किया कि वादी का लोकस स्टैण्डाई है। विशेष कथन में कहा कि प्रतिवादी रेलवे द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 15 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01–02–2016 को पेश किया गया था, जिसमें प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि कृषि नहीं होने का व आप न्यायालय का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने का उल्लेख गया था, जो खारिज हो चुका है। अतः यह आवेदन रेसज्यूटीकेटा से बाधित है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है तथा राजस्व न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार है। प्रकरण में तनकियात बनाकर साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना वांछनीय है। अतएवं आवेदन पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर विवादित भूमियों का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 24–05–2017 से प्रतिवादीगण का आवेदन आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–06–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री अरूण जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण शहादत की स्टेज पर था तथा अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण रूप से अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानकर वाद विधि विरूद्ध मानकर खारिज करने में

त्रुटि की है। तनकियात बनने के बाद साक्ष्य लेकर ही प्रकरण में निर्णय किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय को सिर्फ वाद पत्र के तथ्यों का ही अवलोकन करना चाहिए था, परन्तु वाद का अवलोकन नहीं कर प्रतिवादी के आवेदन के आधार पर वाद खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादी का आवेदन रेसज्यूटीकेटा से बाधित था। प्रकरण में इस आधार तनकी पूर्व से कायम शुदा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रमुखता दो आधारों पर प्रस्तुत किया गया था। पहला तो यह कि वादी/अपीलान्ट को वाद हेतुक नहीं है, यह आधार मान्य नहीं है, क्योंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग के लिए कोई भी व्यक्ति निकट मित्र के रूप में मंदिर के हितों के रक्षार्थ वाद प्रस्तुत कर सकता है।

द्वितीय क्षेत्राधिकार से संबंधित आपत्ति उठायी है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित आराजियात का अपात्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 24–09–1963 को अवाप्त किया जाकर भूमि का कब्जा रेलवे को दिया गया है। यह भूमि अवाप्ति साबिक नंबरों के आधार पर की गयी है जिसके वर्तमान नंबर वादी द्वारा क्लेम किये जा रहे हैं। अर्थात यह सुस्पष्ट रूप से स्थिति प्रकट आती है कि विवादित भूमियों का अवाप्ति अधिनियम के तहत अवाप्त किया जाकर कब्जा रेलवे को दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो एवार्ड जारी किया गया है, उसमें यह स्पष्ट आया है कि धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 19–05–1959 को तथा धारा 6 की अधिसूचना 04–11–1960 को जारी की गयी है। अर्थात वाद दायरी वर्ष 2009 के करीब 49 वर्ष पूर्व उक्त भूमि को विधिवत अवाप्त किया जाकर मुआवजा तय किया जाकर भूमि का कब्जा रेलवे को दिया गया है, तद्नुसार यह भूमि रेलवे की संस्थानिक भूमि है, जिसे किसी भी सूरत में कृषि भूमि नहीं कहा जा सकता।

दूसरा यह भी स्पष्ट आया है कि भूमि आवप्ति की कार्यवाही के दौरान जब भूमि को बिलानाम वर्णित किया गया है, उस दौरान अपीलान्ट/वादी द्वारा आपत्ति अथवा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। उक्त भूमि पर रेलवे

विभाग की गतिविधियां की जा रही हैं तो 49 वर्षो बाद अपीलान्ट/वादी को अचानक से उक्त भूमि का अधिकार मंदिर का होने बाबत् प्रसंज्ञान होने के तथ्य अत्यन्त विश्मयकारी हैं। सारांश यह है कि विवादित भूमि की वाद दायरी के 49 वर्ष पूर्व ही उसकी किस्म व नोहियत कृषि भूमि नहीं रहकर रेलवे की संस्थानिक भूमि हो गयी, जिसे किसी भी स्थिति में कृषि भूमि नहीं कहा जा सकता और ऐसी भूमियों के संबंध में क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं रहता।

अपीलान्ट का यह उजर की दावे के तथ्यों को ही देखा जाना चाहिए, यह लेखन चातुर्य के आधार पर किसी भी भूमि को जो कि पूर्व में कृषि भूमि रही है, उसे आज वादी कृषि भूमि कह दे, जबकि यह स्पष्ट है कि 49 वर्ष पूर्व ही भूमि का कब्जा रेलवे को दिया जाकर रेलवे की संस्थानिक भूमि है, जो वाद दायरी दिनांक को भूमि का जो स्टेटस है, उक्त स्टेटस के संबंध में क्षेत्राधिकार संबंधित न्यायालय को ही प्राप्त होता है। भूमि स्पष्टया कृषि भूमि नहीं होकर रेलवे विभाग की संस्थानिक भूमि बन चही है। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि दावे व जवाबदावे के बाद तनकियात व साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए, वह भी मान्य नहीं है, क्योंकि किसी भी विधि विरूद्ध वाद के सन्दर्भ में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि तथ्यहीन एवं तुच्छ आधारों पर पेश शुदा अनावश्यक वादकरण का निष्पादन त्वरित होकर सारभूत प्रकरणों में न्यायालय अपने लम्बित मामलों का निस्तारण कर सके।

प्रकरण में अपीलान्ट का जहां तक यह कथन कि पूर्व में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा धारा 15 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01–02–2016 को आवेदन पेश किया गया था, जो खारिज होने से यह नया प्रार्थना पत्र रेसज्यूडीकेटा से ग्रसित है। धारा 15 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के क्षेत्र एवं प्रावधान के तहत उक्त आवेदन को वादी की साक्ष्य पर विचाराधीन होने के कारण खारिज करने का निर्णय दिनांक 01–03–2017 को पारित किया है तथा इस दिनांक को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जो कि पूर्व प्रार्थना पत्र से पृथक आधारों तथा पृथक तथ्यों पर अवलंबित है। अतएवं

उक्त आवेदन पर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार में अरहित रेलवे विभाग की संस्थानिक भूमि के सन्दर्भ में अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए वादी का वाद विधि विरूद्ध होने एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से ओदश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन के तहत वादी का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

यहां हम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों का विवेचन करना भी उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 553 प्रस्तुत की गयी है, जो दावे के तथ्यो ंपर ही विचार किये जाने से संबंधित है। इस प्रकरण में दावे में वादी स्वयं उक्त भूमि को रेलवे के नाम दर्ज होने का कथन कहकर आया है, तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 658 में यह वर्णित किया गया है कि अरूपान्तरित कृषि भूमि के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होगा। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति रेलवे विभाग द्वारा 49 वर्ष पूर्व कर लिये जाने के कारण रेलवे विभाग की संस्थानिक भूमि हो चुकी है तथा रेलवे उपयोग के लिए भूमि के रूपान्तरण किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही रेलवे के लिए भूमि अवाप्त होती है, वह रेलवे की संस्थानिक भूमि बन जाती है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1970 पेज 196 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण किये जाने पर धारा 91 के तहत बेदखल किये जाने के प्रावधान हैं, जो इस प्रकरण से किसी प्रकार से सुसंगत नहीं है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1972 पेज 238 राज. प्रस्तुत की गयी है, जो रेसज्यूडीकेटा से संबंधित है, जिस पर हमारे द्वारा पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि इस प्रकरण में

रेसज्यूडीकेटा के तथ्य विद्यमान नहीं हैं। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का वाद क्षेत्राधिकार विहीन एवं विधि विरूद्ध होना मानकर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर व अन्य	बनाम	**भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व अन्य**

अपील नं.....**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**05**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री अरूण जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।